# पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

**आदेश**

सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 03/कृ0 बजट आवंटन–24/2013– 74 (आवंटन)/कृ0 पटना दिनांक 26.07.2013 द्वारा खरीफ 2013 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय बजट शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग संख्या–01–उपशीर्ष–0103–बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना–विपत्र कोड– P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड– AGR-56 83, विषय शीर्ष 33 01–सब्सिडी में पटना जिला को कुल 97,14,855.00 (सनतानबे लाख चौदह हजार आठ सौ पचपन) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसे इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 831/आ0प्र0 दिनांक 02.08.2013 के द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला को उपावंटित किया गया है। सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 03/2013–79 आवं0/कृ0 पटना दिनांक 06.08.2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष, 2013–14 में व्यय बजट शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उप मुख्यशीर्ष –00–लघुशीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण मांग संख्या–01–उप शीर्ष–0103 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना विपत्र कोड– पी.2401001090103, राज्य स्कीम कोड–ए.जी.आर. 56 83, विषय शीर्ष 33 01–सब्सिडी में पटना जिला को कुल 99,96,445/– (निन्माबे लाख छियानबे हजार चार सौ पैंतालीस) रूपये डीजल अनुदान मद में आवंटन प्राप्त होने के उपरांत इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 915/आ0प्र0 दिनांक 20.08.2013 के द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला को उपावंटित किया गया है। सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 03/कृ0बजट आवंटन–24/2013– 109 (आवंटन)/कृ0 पटना दिनांक 20.08.2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष, 2013–14 में व्यय बजट शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उप मुख्यशीर्ष –00–लघुशीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण मांग संख्या–01–उप शीर्ष–0103 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना विपत्र कोड– पी.2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड–ए.जी.आर. 56 83, विषय शीर्ष 33 01–सब्सिडी में पटना जिला को कुल 84,47,700/– (चौरासी लाख सैंतालीस हजार सात सौ) रूपये डीजल अनुदान मद में आवंटन प्राप्त होने के उपरांत इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1030/आ0प्र0 दिनांक 02.09.2013 के द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला को उपावंटित किया गया है।

पुनः सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 03/कृ0बजट आवंटन–24/2013– 140 (आवंटन)/कृ0 पटना दिनांक 14.09.2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष, 2013–14 में व्यय बजट शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उप मुख्यशीर्ष –00–लघुशीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण मांग संख्या–01–उप शीर्ष–0103 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना विपत्र कोड– पी.2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड–ए.जी.आर. 56 83, विषय शीर्ष 33 01–सब्सिडी में पटना जिला को कुल 3,97,04,000/– (तीन करोड़ सनतानबे लाख चार हजार) रूपये चालू खरीफ मौसम में धान का बीज गिराने, बीज स्थली में बिचड़ा को बचाने, बिचड़ा को मुख्य खेत में रोपने तथा रोपे गए खड़े फसल की सिंचाई करने एवं मक्का की सिंचाई करने के लिए डीजल अनुदान मद में आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्न रूपेण सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना जिला के नाम के सामने अंकित राशि उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2013–14 में राशि की निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

| क्र0 सं0 | उपावंटित पदाधिकारी का पदनाम | खरीफ मौसम मे धान एवं मक्का का रकबा (हेक्टेयर में) | पूर्व में प्रथम किस्त के रूप में डीजल अनुदान हेतु उपावंटित राशि (रूपये में) | पूर्व में द्वितीय किस्त के रूप में डीजल अनुदान हेतु उपावंटित राशि (रूपये में) | पूर्व में तृतीय किस्त के रूप में डीजल अनुदान हेतु उपावंटित राशि (रूपये में) | वर्तमान में डीजल अनुदान हेतु उपावंटित राशि (रूपये में) | कुल उपावंटित राशि (4+5+6+7) (रूपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | प्र0वि0पदा0, पटना सदर | 994 | 76050 | 78250 | 66126 | 310800 | 531226 |
| 2 | प्र0वि0पदा0, फुलवारी शरीफ | 6534 | 499912 | 514410 | 434712 | 2043130 | 3492164 |
| 3 | प्र0वि0पदा0, सम्पतचक | 4517 | 345592 | 355610 | 300515 | 1412420 | 2414137 |
| 4 | प्र0वि0पदा0, फतुहा | 5793 | 443218 | 456066 | 385408 | 1811410 | 3096102 |
| 5 | प्र0वि0पदा0, खुशरूपुर | 3611 | 276275 | 284284 | 240240 | 1129120 | 1929919 |
| 6 | प्र0वि0पदा0, दनियावाँ | 2647 | 202520 | 208390 | 176104 | 827688 | 1414702 |
| 7 | प्र0वि0पदा0, मसौढ़ी | 11460 | 876798 | 902210 | 762431 | 3583410 | 6124849 |
| 8 | प्र0वि0पदा0, धनरूआ | 7245 | 554310 | 570378 | 482009 | 2265430 | 3872127 |
| 9 | प्र0वि0पदा0, पुनपुन | 5048 | 386220 | 397414 | 335842 | 1578454 | 2697930 |
| 10 | प्र0वि0पदा0, दानापुर | 4662 | 356686 | 367029 | 310166 | 1457766 | 2491647 |
| 11 | प्र0वि0पदा0, मनेर | 4490 | 343526 | 353484 | 298720 | 1403976 | 2399706 |
| 12 | प्र0वि0पदा0, बिहटा | 10497 | 803120 | 826400 | 698366 | 3282300 | 5610186 |
| 13 | प्र0वि0पदा0, बिक्रम | 9041 | 691720 | 711770 | 601496 | 2827016 | 4832002 |
| 14 | प्र0वि0पदा0, दुल्हिन बाजार | 6024 | 460892 | 474250 | 400775 | 1883632 | 3219549 |
| 15 | प्र0वि0पदा0, पालीगंज | 13972 | 1068990 | 1099974 | 929556 | 4368892 | 7467412 |
| 16 | प्र0वि0पदा0, नौबतपुर | 11961 | 915128 | 941654 | 795764 | 3740070 | 6392616 |
| 17 | प्र0वि0पदा0, बाढ़ | 2630 | 201220 | 207050 | 174970 | 822364 | 1405604 |
| 18 | प्र0वि0पदा0, अथमलगोला | 2542 | 194486 | 200124 | 169118 | 794852 | 1358580 |
| 19 | प्र0वि0पदा0, बेलछी | 2361 | 180640 | 185874 | 157076 | 738258 | 1261848 |
| 20 | प्र0वि0पदा0, बख्तियारपुर | 3940 | 301446 | 310184 | 262130 | 1231996 | 2105756 |
| 21 | प्र0वि0पदा0, पंडारक | 3248 | 248502 | 255706 | 216090 | 1015616 | 1735914 |
| 22 | प्र0वि0पदा0, मोकामा | 1726 | 132056 | 135882 | 114830 | 539700 | 922468 |
| 23 | प्र0वि0पदा0, घोसवरी | 2033 | 155546 | 160052 | 135256 | 635700 | 1086554 |
| | कुल उपावंटित राशि– | 126976 | 9714855 | 9996445 | 8447700 | 39704000 | 67863000 |

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में बजट शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग संख्या–1–उपशीर्ष–0103–बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना–विपत्र कोड– P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड– AGR-56 83, विषय शीर्ष 3301–सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2013–14 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3729/कृ0 दिनांक 24.07.2013 एवं पत्रांक 4525/कृ0 दिनांक 09.09.2013 में निहित निदेशों एवं शर्तों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3729/कृ0 दिनांक 24.07.2013 के आलोक में एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत के अनुमान के अनुसार 25 रूपया प्रति लीटर डीजल पर अनुदान के आलोक में 250 रूपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से, अनुदान अनुमान्य किया जाना है। एक किसान को एक ही खेत के लिए अधिकतम 3 सिंचाई हेतु 750 रूपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान भुगतान किया जाना है। धान के लिए 3 सिंचाई, धान बिचड़ा के लिए 2 सिंचाई एवं मक्का के लिए 3 सिंचाई हेतु डीजल अनुदान अनुमान्य किए जाने से संबंधित निदेश प्राप्त हुआ था। पुनः सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4525/कृ0 दिनांक 09.09.2013 के आलोक में धान की मुख्य फसल तथा मक्का के लिए पूर्व से स्वीकृत 3 सिंचाई के अतिरिक्त 1 और सिंचाई, कुल 4 सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है। धान बिचड़ा पर दो सिंचाई के लिए अनुदान का लाभ पूर्व की तरह किसानों को दिया जाएगा।

4. इस राशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा अन्यथा इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। व्यय की गई रशि का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 2री तारीख तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा राशि व्यय के पश्चात टी0भी0 सं0 के साथ व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को शीघ्र भेजा जाय।

5. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड एवं मांग संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मोहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

कृपया एक विपत्र पर एक हीं उपशीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

6. उपावंटित राशि में से 80 प्रतिशत राशि व्यय हो जाने पर अगर माँग अवशेष बचता हो तो अतिरिक्त राशि की माँग संबंधित सूचना इस कार्यालय को यथा शीघ्र भेजा जाय ताकि राशि की माँग राज्य सरकार से किया जा सके।

7. यह उपावंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

8. यदि उपर्युक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 31.12.2013 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर इसे बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 1150 आ0प्र0, दिनांक 20/9/13

प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, दानापुर, मसौढ़ी, पटना सिटी, बाढ़ एवं मोकामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपिः– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सरकार के सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।